



क्रमांक 493 /स्था./सी.एम.ओ. विज्ञाप-6/24 विदिशा/दिनांक:- 01/02/2024

// विज्ञापित //

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखित आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर					वेतनमान
			UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	.....	.....	01	.....	.....	छठवे वेतनमान 15600-39100+5400ग्रेड -पे के समकक्ष
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	03	01	.....	01	.....	01	7वाँ वेतनमान लेवल(12) में पे-मेट्रिक्स 56,100/- अनुसार देय होगा।

उक्त पदों की शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अर्हताएँ निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवाषकी आयु
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस/एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट पर [www.gmcvidisha.org](http://www.gmcvidisha.org) पर उपलब्ध है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के नाम से बंद लिफाफे में पद का नाम व स्वयं का नाम एवं श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित कर भेजे (आवेदन की अंतिम तिथि-22/02/2024 सायं 05:00 बजे तक है) निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जावेगी। स्कूटनी एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय-समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
अटल बिहारी वाजपेयी  
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा



### आकरिमक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी

नोट:- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

1. सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिये 40 वर्ष

अनारक्षित महिला वर्ग के लिये 45 वर्ष

आरक्षित वर्ग हेतु अ.पि.व/अजजा/अजा हेतु 45 वर्ष

(पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 45 वर्ष)

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. आवेदक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न न करने पर अपूर्ण आवेदन पत्र को अमान्य किया जावेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

5. आवेदक पूर्व से जिस संस्था में कार्यरत है, उस संस्था के सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

#### 6. निरहर्ताये:-

I. विकृत चित्त वाला होने पर

II. दुश्चरित्र होने पर

III. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व पूरा नहीं कर सकता हो।

IV. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुसंशा-किसी भी उम्मीदवार की ओर अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुसंशा उसके लिये अन्य अनर्हकारी माना जायेगा।

V. विवाह संबंधी-जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

VI. जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। (जीवित संतानों के विवरण हेतु आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)

VII. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख कर प्रस्तुत करने पर।


VIII. कदाचरण संबंधी- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

IX. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा उसका नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।



- X. आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के नाम से बंद लिफाफे पर पदनाम व स्वयं का नाम व पता अंकित कर भेजने की अंतिम तिथि (दिनांक- 22/02/2024 सांय 05:00 बजे तक है) निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जावेगी। स्कूटनी एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय-समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

**महत्वपूर्ण टीप:-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
अटल बिहारी वाजपेयी  
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा